(20)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक एक / निग / छतरपुर / भू.रा. / 2017 /

I/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/4816

श्री लखनसिंह धाकड़ एड. द्वारा आज दि. 04/12/17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 4-12-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पे.दि. 6-12-17

प्रमोद कुमार पुत्र श्री रामकृपाल त्रिपाठी, निवासी ग्राम पठा, तहसील लवकुशनगर, जिला छतरपुर म0प्र0

— आवेदक

बनाम

1. लालसिंह राजपूत पुत्र श्री पन्नालाल राजपूत, निवासी ग्राम पठा, सरपंच गाम पंचायत पठा, तहसील लवकुशनगर, जिला छतरपुर म0प्र0
2. मध्य प्रदेश शासन

— प्रतिअपीलार्थीगण

(L.S. Dhakad 04/12/17)

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 के विरूद्ध न्यायालय नायब तहसीलदार, पठा, तहसील लवकुशनगर, जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 18 / अ–68 / 2016–17 .में पारित आदेश दिनांक 20.11.2017 एवं दिनांक 07.10.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत।

प्राप्त 04/12/17
शाखा प्रभारी (भू.रा.) कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर

श्रीमान जी,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः–

1. यहकि, भूमि सर्वे क्रमांक 860 क्षेत्रफल 112 वर्गफुट का आवेदक को दिनांक 04.12.1985 को विधिवत निःशुल्क पट्टा प्रदाय किया गया था। उक्त भूमि पर आवेदक ने विधिवत अनुमति दिनांक 19.03.1986 को भवन निर्माण की अनुमति लेकर भवन निर्माण कराया, जिसमें ... निवास करता चला आ रहा है।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/4816 **जिला** – छतरपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06.12.2017	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एल.एल. धाकड़ उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता एवं स्थगन के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया। आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह आधार लिया गया है कि नायब तहसीलदार द्वारा उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 06.11.2017 का निराकरण मूल आवेदन के साथ किये जाने के निर्देश दिए हैं, जो न्यायोचित नहीं हैं। मेरे द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदक का अवलोकन किया गया। उक्त आवेदन में आवेदक ने स्वयं को अनावेदक क. 1 बताते हुए अनावेदक लाल सिंह द्वारा निर्माण की सामग्री आदि को जब्त कराने का अनुरोध किया है। नायब तहसीलदार ने उक्त आवेदन का निराकरण मूल आवेदन के साथ करने के आदेश में कोई त्रुटि नहीं की गई है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। प्रशासकीय सदस्य	